कार्यालय परियोजना अधिकारी नेडा, बिजनौर
जन सूचना के अधिकार के अन्तर्गत 16 विन्दुओं पर सूचना

क्र0सं0	विन्दु	बिन्दुवार सूचना
1	आपने संगठन की विशिष्टियाँ कृत्य और कर्तव्य	वर्तमान में जैसे–जैसे विश्व स्थाई उर्जा उपयोग की ओर बढ़ रहा है अक्षय उर्जा स्रोत मौजूदा समय की मांग बन गई है हमारे देश में अनेक प्रकार के स्रोत उपलब्ध है जिसमें प्रमुख अनेक वायोमास, बायोगैस, पवन, लधुपन बिजली है। उर्जा की बढ़ती खपत के परिणाम स्वरूप, जीवाश्म ईंधनों यथा कायेला तेल, गैस पर निर्भरता बढ़ती जा रही है, इन जीवाश्म ईंधनों के भण्डार अगले दस दशकों से कम समय तक चलेगें, इसलिये हमें उर्जा विकास का स्थायी मार्ग विकसित करने की आवश्यकता है इसके दृष्टिगत अक्षय उर्जा स्रोतो एवं उनके उपयोगों को जन–जन तक पहुचाना तथा उर्जा संरक्षण को प्रोत्साहन देना ही मुख्य रूप से विभाग का लक्ष्य है। संस्थान द्वारा अक्षय उर्जा के उपयोग हेतु विशेष योजनाए यथा सौर उर्जा से प्रकाश व्यवस्था, पॉवर जनरेशन, भोजन पकाना एवं उद्योगिक क्षेत्र में जहां गर्म पानी की आवश्यकता है वहां परम्परागत उर्जा (विद्युत उर्जा) को बचाने हेतु सोलर वाटर हीटर की स्थापना किया जाना। इसी प्रकार वायो उर्जा के अन्तर्गत वायोगैस प्लान्टों की स्थापना कराना, वायोमास/कृषि अवशिष्टो से उर्जा उत्पादन कर उद्योगों को उर्जा क्षेत्र में आवश्यकतानुसार आत्म निर्भर बनाना।
2.	अपने अधिकारियों/कर्मचारियों की शक्तियॉ एवं कर्तव्य	अधिकारी एवं कर्मचारी राज्य सरकार के अधीन कार्य करते है।
3	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।	जनपद के परियोजना कार्यालय पर परियोजना अधिकारी, अवर अभियन्ता, मैकेनिक, कार्यालय सहायक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत है। शासन द्वारा संचालित कार्यक्रमों के संचालन/निरीक्षण/पर्यवेक्षण किया जाना है। कार्यालय विकास भवन, बिजनौर में स्थित है।
4.	अपने कृत्यों के निर्वाहन के लिऐ स्वयं द्वारा निर्धारित मापमान	परियोजना अधिकारी/ परियोजना प्रभारी के नियन्त्रण में सभी कर्मचारी शासकीय कार्यों का सम्पादन करते है।
5.	अपने द्वारा या अपने नियन्त्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वाहन के लिऐ प्रयोग किये गये नियम विनियम अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख।	जनपद के परियोजना कार्यालय पर परियोजना अधिकारी, अवर अभियन्ता, मैकेनिक, कार्यालय सहायक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत है।

6.	ऐसे दस्तावेज की श्रेणी का विवरण जो उनके द्वारा धारित किये गये है अथवा उनके नियन्त्रण में है।	शासन द्वारा प्रदत्त अभिलेख पूर्ण कर सुरक्षित रखे जाते है, नियमानुसार अवलोकन एवं कार्यवाही प्रस्तावित की जाती है।
7.	किसी व्यवस्था का विवरण जिसमें उसकी नीति निर्माण अथवा उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में लोक सदस्यों के साथ परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिऐ विद्यमान है।	संस्थान का कार्य जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी/ परियोजना नियन्त्रक अधिकारी (नेडा) के निर्देशन तथा डी0ए0सी0 से समन्वय स्थापित करा कर कार्य किया जाता है।
8.	बोर्ड परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति हो और जिसकी स्थापना इसके भाग के रूप में अथवा इसकी सलाह प्रयोजन के लिए की गयी हो और यह विवरण की क्या इन बोर्डों परिषदों समितियों तथा अन्य निकाय की बैठक लोगों के लिये खुली है अथवा ऐसे बैठक के कार्यवृत्त लोग के लिए सुलभ है।	जिला प्रशासन की बैठक में शासन की मंशा के अनुरूप जनप्रतिनिधियों का सहयोग एवं सुझाव प्राप्त करते हुए कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है।
9.	अपने अधिकारियों/कर्मचारियों की निर्देशिका	इस विभाग के कर्मचारी राज्य सरकार के नियन्त्रण में कार्यवाही सुनिश्चित करते है और राज्य सरकार के निर्गत निर्देशों का पालन करते है।
10.	अपने प्रत्येक अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में यथा उपबन्धित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित हों।	विभागीय नियमावली के अनुसार अधिकारी/कर्मचारियों के मासिक एवं त्रैमासिक आकड़े मण्डलीय अधिकारी एवं निदेशक, नेडा, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराये जाते है।
11.	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टिंग की विशिष्टियों उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण का आवंटित बजट।	परियोजना कार्यालय को बजट जिला योजना एवं राज्य योजना से निदेशक नेडा द्वारा उपलब्ध कराया जाता है इसके अतिरिक्त अन्य निधियों यथा जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, नगर पंचायत, नगर परिषद एवं मा0 जनप्रतिनिधियों की निधिस बजट सक्षम स्तर से सीधे विभाग को उपलब्ध कराया जाता है जिसका समुचित उपभोग करते हुए नियमानुसार सम्बन्धित को प्रत्येक माह व्यय विवरण भेजा जाता है।
12	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पनादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्योरे सम्बधित है।	अक्षय उर्जा के व्यापक प्रचार –प्रसार हेतु अक्षय उर्जा दिवस का आयोजन जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला सलाहकार समिति के निर्देशन में सम्पन्न कराया जाता है, जिसका नियमानुसार व्यय कर सूचना उपभोग प्रमाण सहित नेडा मुख्यालय को प्रस्तुत किया जाता है।

13.	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्ति कर्ताओं की विशिष्टियाँ	निदेशालय के निर्देशानुसार अक्षय उर्जा संयत्रों के उपभोग कर्ताओं एवं सम्भावित उपभोग कर्ताओं एवं उद्योगिक प्रतिष्ठान के प्रतिनिधियों को उर्जा के वैकल्पिक स्रोतो के अधिकाधिक उपयोग हेतु समय–समय पर गोष्ठियां एवं प्रदेर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है।
14.	किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्योरे जो उसकों उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो।	विभाग द्वारा समस्त सूचनायें उच्चाधिकारियों को संकलित कर भेजी जाती है। आवश्यकतानुसार प्रिन्ट मीडिया से प्रचार प्रसार कराया जाता है।
15.	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियों जिसमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो कार्यकरण घटे सम्मिलित है।	ऐसी कोई व्यवस्था उपलब्ध नही है।
16.	जन सूचना अधिकारियों के नाम पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ	जनसूचना अधिकारी श्री आर0के0 पाण्डेय परियोजना प्रभारी नेडा बिजनौर है।

परियोजना प्रभारी
नेडा, बिजनौर।